न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक दौसा
बनाम
देवकीनन्दन पुत्र मिठ्ठन लाल साहु
किस्म मुकदमा : इस्तगासा अन्तर्गत गुण्डा एक्ट
मु०नं० 12 / 2023

28.4.2026

पत्रावली पेश हुई। लोक अभियोजक उपस्थित। अधिवक्ता गैरसायल उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। लोक अभिलयोजक द्वारा निवेदन किया गया कि गैरसालय जुँआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगों को भी जुँआ खेलने के लिए प्रेरित करता है। अधिवक्ता गैरसायल द्वारा निवेदन किया गया कि गैरसायल देवकीनन्दन लीवर, हार्ट, शूगर आदि अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित है तथा चलने फिरने से भी लाचार है एवं बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं है। जिसका विभिन्न अस्पतालों में इलाज भी चलता आ रहा है। अतः गैरसायल की उक्त परिस्थितियों में गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमावें। थानाधिकारी पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा के पत्रांक 1090 दिनांक 25.2.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल देवकीनन्दन पुत्र श्री मिठ्ठनलाल साहु जाति तेली निवासी वार्ड नं. 16 हाईस्कूल के पीछे थाना बांदीकुई जिला दौसा की जॉच में दौराने जांच पाया कि वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों के चलते देवकीनन्दन की आपराधिक गतिविधियां नहीं पायी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों के चलते देवकीनन्दन की आपराधिक गतिविधियां नहीं पायी गयी। गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं स्वास्थ्य संबंधित परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये गैर सायल देवकीनन्दन पुत्र श्री मिठ्ठनलाल साहु जाति तेली निवासी वार्ड नं. 16 हाईस्कूल के पीछे थाना बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत किया गया इस्तगासा पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है कि गैर सायल की गतिविधियां गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत समाज विरोधी पाई जाती है तो पुनः गैर सायल के विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही हेतु इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/4/26

(अरविन्द शर्मा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा